न्यायालय–संजना मालवीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला–जबलपुर

RCT No.	5273/2014
Filling No.	8696/2014
CNR No.	MP2001-004519-2014
Inst. Dt.	07-05-2014

थाना कैंट व जिला–जबलपुर के अपराध कमांक–110/14 अंतर्गत धारा–498ए/34, भा0द0सं0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 से उद्भुत प्रकरण।

अभियोजन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा
थाना–कैंट, जिला जबलपुर (म0प्र0)

प्रतिनिधित्व द्वारा **ए0डी0पी0ओ0 श्रीमती वर्षा वैद्य।**

अभियुक्तगण

1. **शबीना पति शेख महमूद उम्र–45 साल नि0 रामवार्ड कंदे की नरसिंहपुर म0प्र0**
2. **मोह0 जाहिद उर्फ भैया मिथुन पिता बाबू खान उम्र–37 साल ,दोनों नि0 गली न0 12 थाना कैंट जबलपुर**
3. **ताराबी उर्फ कंजीतारा पति बाबू खान .....(फौत)**

प्रतिनिधित्व द्वारा **श्री ओमशंकर पाण्डे अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण।**

म.प्र. नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 238–क के प्रारूप ड के अनुसार सारणीबद्ध विवरण

अपराध की तारीख	21.09.2013 से 06.03.2014 तक
प्र.सू.रि की तारीख	10.03.2014
आरोप पत्र की तारीख	07.05.2014
आरोपों की विरचना की तारीख	15.09.2015
साक्ष्य प्रांरभ किये जाने की तारीख	13.06.2016
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	18.08.2023
निर्णय की तारीख	24.08.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	दोषमुक्त

अभियुक्तगण का विवरण

अभि. की श्रेणी	अभियुक्तगण का नाम	गिर् की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोष सिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
अ–1	शबीना पति शेख महमूद उम्र–45 साल	16.04.14	07.05.14	498ए/34, भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	498ए/34, भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक
अ–2	मोह0 जाहिद उर्फ भैया मिथुन पिता बाबू खान	17.04.14	07.05.14	498ए/34, भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	498ए/34, भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

—:परिशिष्टः—

//साक्षियों का विवरण//

अ. अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा. 1	महलख फिरदौस	फरियादिया
अ.सा. 2	अरफाना उर्फ बेबी	संपुष्टिकारक साक्षी
अ.सा. 3	करण सिंह	विवेचक साक्षी
अ.सा. 4	मो0 असलम अंसारी	संपुष्टिकारक साक्षी
अ.सा. 5	फिरदौस	संपुष्टिकारक साक्षी
अ.सा. 6	वकील खान	संपुष्टिकारक साक्षी
अ.सा. 7	सूरज	संपुष्टिकारक साक्षी

ब. प्रतिरक्षा

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी	निरंक	निरंक

स. न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालयीन साक्षी	निरंक	निरंक

प्रदर्शों का विवरण

अ. अभियोजन प्रदर्शों की सूची

कं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी 1	लिखित रिपोर्ट
2.	प्र0पी0 2	जप्ती पत्रक
3.	प्र0पी0 3	मौका नक्शा

4.	प्र0पी0 4	प्रथम सूचना प्रतिवेदन
5.	प्र0पी0 5	फरियादिया के पुलिस कथन
6	प्र0पी0 6	प्रथम सूचना रिपोर्ट
7.	प्र0पी0 7 लगायत 09	गिरफतारी पत्रक

ब. प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

क्रं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

स. न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क्रं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

//आवश्यक वस्तुएं//

क्रं	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 24.08.2023 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरूद्ध **भा0दं0सं0 की धारा—498ए/34 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0** के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दि0 21.09.2013 के पश्चात से दि0 06.03.14 तक गली नं0 12 सदर बाजार जबलपुर अंतर्गत थाना कैंट जिला जबलपुर स्थित फरियादिया के ससुराल में फरियादिया श्रीमती महलका फिरदौस के पति अथवा पति के नातेदार होते हुए, उससे दहेज की मांग की पूर्ति के लिए उसे शारीरिक एवं

मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की तथा उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया से प्रत्यक्ष रूप से डेढ लाख रू0 की दहेज के रूप में अवैध मांग की।

02. यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी ताराबी उर्फ कंजीतारा के विचारण के दौरान फौत होने से ताराबी उर्फ कंजीतारा के सबंध में कार्यवाही का उपशमन किया गया है। अतः यह निर्णय अभियुक्त शबीना एवं मोह. जाहिद के परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है।

03. अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि फरियादिया का विवाह विवाह 21 सिंतबर 2013 को आरोपी मोह0 जाहिद के साथ हुआ था। फरियादिया के निकाह में उसके पिता द्वारा हैसियत से बढकर सोने चांदी के जेवरात व गृहस्थी का सारा सामान दिया गया था। निकाह के पहले दिन से ही आवेदिका के पति, सास और ननद ने आवेदिका को दहेज की मांग के लिये परेशान करना शुरू कर दिया था। आवेदिका द्वारा मना करने पर आवेदिका के साथ मारपीट, गाली गलौज की जाती थी। आरोपी जाहिद द्वारा उसके बाल खींचकर उसके साथ मारपीट की जाने लगी और उसे धमकी दी जाने लगी कि यदि वह एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल लाकर नही देगी तो उसका चेहरा तेजाब डालकर बिगाड देंगे। आवेदिका जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की बिजली कटवा दी थी, उसे खाना नही दिया जाता था, कपडे नही दिये जाते थे, नौकरों जैसा घर मे काम करवाते थे। आरोपीगण द्वारा दहेज में एक लाख रूपये व गाडी की मांग को लेकर आवेदिका के साथ मारपीट कर उसका सामान व जेवर छीनकर घर से भगा दिया। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कैंट द्वारा अप0क्रं0 110/14 धारा 498ए/34 भा0दं0सं0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रति0अधि0 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादिया व साक्षीगण के कथन लेख किये गये। नक्शा मौका तैयार किया गया, जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफतारी पत्रक तैयार किए गए तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण ने इस निर्णय की कंडिका–1 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा। अभियोजन में आई साक्ष्य के आधार पर

अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत परीक्षण किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैः—

1. क्या आरोपीगण ने दि0 21.09.2013 के पश्चात से दि0 06.03.14 तक गली नं0 12 सदर बाजार जबलपुर अंतर्गत थाना कैंट जिला जबलपुर स्थित फरियादिया के ससुराल में फरियादिया श्रीमती महलका फिरदौस के पति अथवा पति के नातेदार होते हुए, उससे दहेज की मांग की पूर्ति के लिए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया से प्रत्यक्ष रूप से एक लाख रू0 व गाडी की दहेज के रूप में अवैध मांग की?

—:: सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष ::—
विचारणीय प्रश्न कमांक— 1 व 2 का निराकरणः—

06. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न अन्नयोनाश्रित होने के कारण साक्ष्य की विवेचना में सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

07. इस संबंध में **फरियादिया महलखा फिरदौस (अ0सा0—1)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को जानती है। मो0 जाहिद उसके पति, तारा बी उसकी सास व शबीना उसकी नंद है। उसका विवाह 31 सिंतबर 2013 को मोह0 जाहिद के साथ हुआ था। शादी के बाद उसके पति उससे एक लाख रू0 और उसकी नंद एक मोटरगाडी की मांग करते थे। उसकी सास उसके पति से कहलवाती थी कि एक लाख रू0 और मोटरगाडी नहीं लाओगी तो चेहरा बिगाड देगें। उसके माता पिता ने उसे अपनी हैसियत से बढ कर दहेज दिया था। उसकी मां ने उसे दहेज में सोना चांदी दिया था वह उसकी सास ने रख लिया। उसके पति कभी भी उसके साथ

मारपीट कर उससे पैसा लाने के लिए बोलते थे। उसके पति उसे मिटटी का तेल डालने की धमकी देते थे तो वह मायके चली गई थी। उसके पति उससे बार बार तलाक देने की धमकी दिया करते थे। जब वह अपने मायके आ गई तब परेशान होकर उसने थाने में रिपोर्ट की थी, जो प्र0पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे घटना के संबधं में उसके बयान लिए थे। जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादिया द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किये जाने पर अभियोजन द्वारा फरियादिया से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपने लिखित आवेदन के साथ पुलिस को निकानामा की छायाप्रति, शादी का कार्ड, दहेज के सामान की लिस्ट, शादी की फोटोग्राफ आदि दिये थे जिसे पुलिस ने जप्त किया था। पुलिस मौके पर आई थी ओर उसके सामने मौकानक्शा प्र0पी0 3 तैयार किया था। उसकी लिखित रिपोर्ट प्र0पी0 1 के आधार पर पुलिस वालो ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र0पी0 5 के ए से ए भाग की बात पुलिस को बताई थीं

08. फरियादिया महलखा फिरदौस (अ0सा0–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि जब उसका पति उससे बात करने और उससे मिलने के लिये आगे बढा तो उसके माता पिता व उसने गाली देकर उसे भगा दिया। इस बात को स्वीकार किया है कि खाना खर्चा के प्रकरण में उसके बच्चे को पंद्रह सौ रूपये खाना खर्चा मिलता था और उसे खर्चा नही मिलता था। इस बात से इंकार किया है कि जितने भी सामान की सूची पेश की है वह फर्जी है। इस बात से इंकार किया है कि उसके परिवार में दहेज देने की हैसियत नहीं है और वह झूठी बात बता रही है। इस बात से इंकार किया है कि उसकी ननद ने उसे कभी परेशान नहीं किया। इस बात से इंकार किया है कि उसकी सास उसे बहुत चाहती है और हमेशा अस्पताल लेकर जाती थी। उसका और उसकी सास का घर सौ मीटर की दूरी पर है। वह और उसका पति जाहिद सौ मीटर की दूरी पर मकान में रहते थे। स्वतः कहा कि सिर्फ सोने जाते थे। इस बात को स्वीकार किया है कि मारपीट के संबंध में उसका कोई मुलाहिजा नहीं हुआ। इस बात से इंकार किया है कि उसके साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना होती तो वह अगल बगल वालो को बता सकती थी। स्वतः कहा

उसे घर से जाने नही दिया जाता था। उसे पढना नही आता उसका लिखित आवेदन प्र0पी0 1 वकील साहब ने लिखवाया था। इस बात से इंकार किया है कि उसके पति ने साथ मे अच्छे से रखने के लिये कई बार बोला है, स्वतः कहा कि उसके साथ मारपीट होती है। इस बात को स्वीकार किया है कि उसके आवेदन में जो बात लिखी है कि नौकरो जैसा काम कराते थे, वह सही है। इस बात से इंकार किया है कि वह अपने माता पिता के बहकावे मे आकर झूठे बयान दे रही है।

09. **साक्षी अरफाना उर्फ बेबी (अ0सा0–2)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह आरोपी मो0 जाहिद उर्फ भैया दामाद, ताराबी समधन, शबीना को जानती है वह उसके रिश्तेदार हैं। वह फरियादिया महलका फिरदौस को जानती है वह उसकी पुत्री है। उसके परीक्षण से लगभग 3 साल पहले उसकी पुत्री का निकाह आरोपी मोह0 जाहिद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। निकाह के बाद वह अपने ससुराल सदर गई थी। निकाह में उसने गृहस्थी का सारा सामान व सोने चांदी के जेवर डेढ पाव चांदी तथा दामाद को निकाह के रस्म में 11786 रू0 दिया था। तीनों आरोपीगण एक राय होकर उसकी पुत्री महलका से कहते थे कि वह अपने मायके से एक लाख रू0 व गाडी लेकर आए। उसने यह बात अपने मायके में बताई थी तब भी उसने समझाबुझाकर अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया था। फिर उसने समाज के लोगों के लिए एक बैठक बुलवाई थी। समाज के बैठक में तीनों आरोपीगण उपस्थित थे किंतु आरोपीगण नहीं माने और दहेज में एक गाडी व एक लाख रू की मांग करने लगे। उसकी लडकी को आरोपीगण द्वारा तेजाब से जलाने की कोशिश की गई थी जिससे वह अपनी जान बचाते हुए उसके घर आई थी। आरोपीगण उसकी बेटी को पहनने के लिए कपडे तथा खाना नहीं देते थे और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। उसकी लडकी ससुराल में जिस कमरे में रहती थी आरोपीगण ने उस कमरे की लाईट कटवा दी थी। उसकी पुत्री ने थाना कैंट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिए थे।

10. **साक्षी अरफाना उर्फ बेबी (अ0सा0–2)** ने अपने प्रति परीक्षण इस बात से इंकार किया है कि उसके पति मो. असलम दिन का 50–60 रूपये कमाते थे और उस समय छुई मिटटी बेचते थे। इस बात से इंकार किया है कि

वह लोग किसी प्रकार का दहेज देने में सक्षम नही थे। इस बात से इंकार किया है कि उसके द्वारा दहेज की जो सूची पेश की गई है उसमे आरोपी पक्ष के हस्ताक्षर नही हैं। इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 21.02.13 की दहेज की सूची गलत पेश की गई है। इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पंचायत की बैठक की लिखापढी पेश नही की गई है। स्वतः कहा कि मौखिक रूप से था। इस बात को स्वीकार किया है कि शादी के बाद से पति पत्नि घर से अलग रहते थें स्वतः कहा कि सोने के लिये जाते थे। इस बात से इंकार किया है कि उसकी पुत्री का ताराबी व शबीना से कोई लेनादेना नही था। इस बात से इंकार किया है कि वह न्यायालय के बाहर पढकर समझकर आई है इसलिये झूठा बयान दे रही है। इस बात से इंकार किया है कि वह प्रतिदिन महलखां से उसके पति की बुराई करती है और खाना दाल चावल केसा बना है इसमें हस्तक्षेप करती है। इस बात से इंकार किया है कि जब जाहिद व उसके परिवार वाले महलखा को लेने आये तो उनको मारकर भगा दिया गया। इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ठीक से आय अर्जित नही करता इसलिये उसने उसका घर बिगाडने की कोशिश की। इस बात को स्वीकार किया है कि सामान लेनदेन के संबधं मे कोई फोटो पेश नही किया है। इस बात से इंकार किया है कि वह अपनी पुत्री का घर नही बनाना चाहती।

11. मोह0 असलम अंसारी (अ0सा0–5) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि आरोपी मोहम्मद जाहिद उर्फ भैया(दामाद), श्रीमती सबीना व ताराबी समधन लगती थी। उनका देहांत हो गया है। फरियादी मेहलखा फिरदौज उसकी पुत्री है। उसकी बेटी का विवाह मोहम्मद जाहिद उर्फ भैया के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से दिनांक 21.09.2013 को जबलपुर में संपन्न हुआ था। शादी में उसने अपनी हैसीयत के अनुसार ग्रहस्थी का सामान, सोने, चांदी का जेवर दिया था। शादी के बाद वह अपने ससुराल सदर गई। शादी के 15–20 दिन बाद से उसका पति, नंद और सास प्रताड़ित करने लगे। उसकी बेटी मेहलखा से उसके पति, सास और नंनद कहने लगे कि तेरे बाप ने शादी में कुछ नहीं दिया। उससे कहते थे कि उसे मार डालेंगे, तेरा चेहरा बिगाड़ देंगे। उसकी बेटी मेहलखा से कहते थे कि अपने मायके से 1 लाख रूपये और दोपहिया वाहन लेकर आओ। और कहते थे कि अपने मायके से लेकर नहीं आओगी तो चेहरा बिगाड़ देंगे। माह अक्टूबर में उसकी समधन तारा बाई ने उसे फोन कर बुलाया फिर वह उनके घर गया। फिर उसकी समधन तारा बी और

उसके दामाद जाहिद उर्फ भैया ने उससे कहा कि 1 लाख रूपये और मोटरसाईकिल दहेज में दो। उसने उनसे कहा कि उसकी इतनी गुंजाईश नहीं है और वह माफी मांगकर वापस आ गया।

12. साक्षी मोह. असलम अ0सा0 5 ने आगे बताया है कि उसकी बेटी और उसके दामाद के बीच में झगड़ा हुआ था। उसके दामाद जाहिद ने उसकी बेटी महलखा से मारपीट की थी, उसकी बेटी के कपड़ो के उपर मिट्टी का तेल डाल दिया था। मारपीट से कोई चोट नहीं आई थी। फिर उसकी बेटी ने फोन कर उसे बताया था कि जाहिद ने उसके साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल डाल दिया। तब वह अपनी बेटी के घर गया फिर वह अपनी बेटी को घर ले आया। उसके बाद उसकी बेटी ने केंट थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महलखा ने पुलिसवालो को निकाहनामा की छायाप्रति, शादी का कार्ड, दहेज में दिये गये सामान की लिस्ट, शादी के फोटोग्राफ दिये थे, जिसके आधार पर पुलिसवालों ने जप्तीपत्रक पप्री–2 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिसवालो ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले खाने पीने नहीं देते थे। उसके कमरे की लाईट बंद कर देते थे। जाहिद अपनी मां के कमरे में रहता था उसकी बेटी अकेले कमरे में रहती थी। आरोपीगण उसकी लड़की से गाली गुप्तार करते थे। आरोपीगण मारपीट कर उसकी बेटी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते थे।

13. साक्षी मोह0 असलम अंसारी (अ0सा0–5) ने अपने प्रतिपरीक्षण मे बताया है कि महलखां का दूसरा निकाह नही हुआ है, लेकिन जबलपुर मे उसकी बात चल रही है। इस बात से इंकार किया है कि महलखां का निकाह हो चुका है। साक्षी ने बताया है कि उनका आरोपी के परिवार से राजीनामा हाईकोर्ट के मीडियेशन सेंटर मे हुआ है जिसमे कोई लेनदेन नही हुआं राजीनामा 2020 के पहले मीडियेशन सेंटर मे हुआ हैऔर वहां यह भी तय हुआ था कि इस न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश करेंगे, लेकिन समय नही मिल पाया। इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी ताराबाइ की मृत्यु हो चुकी है और आरोपी सबीना का विवाह नरसिहंपुर में हुआ था जो कि महलखां के विवाह के पूर्व हो चुका है। शादी के बाद जाहिद अपनी पत्नी महलखां के साथ अन्य मकान मे किराये से रहता था। इस बात को स्वीकार किया है कि प्रताडना के

सबध मे उसके द्वारा कहीं कोई आवेदन नही दिया गया। इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी सबीना का उन लोगो के परिवार से कोई लेनादेना नहीं है। इस बात को स्वीकार किया है कि सामान्यतः हर घर में मारपीट, लडाई झगडा होता है और वह अपराध की श्रेणी में नही आता। इस बात से इंकार किया है कि वह बढचढकर बयान दे रहा है।

14. साक्षी फिरदौस (अ0सा0–6) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह मैं आरोपिया सबीना को जानता है वह उसके घर के पास में रहती थी। पुलिस वालों ने आरोपिया सबीना को गिरफ्तार किया था। उसके समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.–7 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दहेज संबंधित प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया था। फिरदौस (अ0सा0–6) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जाहिद उनके मकान मे किराये से रहता है। जाहिद के साथ उसकी पत्नी महलखा भी रहती थी। उसका मकान व फरियादिया के किराये का मकान लगा हुआ है। जिसका वह मालिक है। इस बात को स्वीकार किया है कि उसके सामने प्रताडना के संबंध में महलखा ने कभी कोई शिकायत नही की। इस बात को स्वीकार किया है कि जहां पर महलखा व जाहिद रहते थे वहां लाइट पानी की पूरी व्यवस्था थी। महलखां की मां का वहां लगातार आना जाना रहता था। इस बात को स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई विवाद नही हुआ। इस बात को स्वीकार किया है कि महलखां का निकाह हो गया है। इस बात को स्वीकार किया है कि सबीना का नरसिंहपुर मे विवाह बहुत पहले हो गया था वह कभी मायके नही आती थी। इस बात को स्वीकार किया है कि फरियादिया के निकाह के समय दहेज की कोई मांग नही हुई थी।

15. साक्षी वकील खान (अ0सा0–7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह आरोपिया सबीना को जानता है वह उसकी बहन है। वह आरोपिया तारा बी को जानता है वह उसकी मॉ है। वह आरोपी मोह. जाहिद को जानता है वह उसका छोटा भाई है। उसके छोटे भाई की पत्नी महलखा ने उसकी मॉ, बहन और छोटे भाई पर 498ए एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध दर्ज करवाया था। पुलिस वालों ने गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.–7 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं तारा बी और मोह. जाहिद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.

–8 एवं प्रदर्श पी.–9 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी बहन सबीना विवाह से ही नरसिंहपुर में रहती है। इस बात को स्वीकार किया है कि जाहिद व महलखां के विवाह के पहले सबीना का विवाह हो चुका था वह अपने मायके मे कभी नही आई थी। इस बात को स्वीकार किया है कि फरियादिया का निकाह बिना तलाक लिये हो गया है, उसका एक बच्चा है।

16. **साक्षी सूरज (अ0सा0–8)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह आरोपी तारा बी व मोह0 जाहिद को जानता है व उसके मोहल्ले में रहता है। आरोपिया तारा बी की मृत्यु वर्ष 2018 में हो गई है। मोह0 जाहिद की पत्नि महलखा ने आरोपीगण के विरूद्ध धारा 498ए भा0दं0सं0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। पुलिस वालों के द्वारा गिरफतारी पत्रक प्र.पी. 8 व प्र.पी. 9 उसके समक्ष तैयार किया गया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नही है कि फरियादिया व आरोपी के बीच क्या विवाद था। इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस ने कहा तो उसने गिरफ्तारी पत्रक पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

17. **विवेचक करण सिंह (अ0सा0–4)** ने **अपने मुख्य परीक्षण में** यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह दि0 10.03.14 को थाना कैंट में उप0निरी0 के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादिया महलखा फिरदौस ने थाने में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया था। फरियादिया के लिखित आवेदन प्र0पी0 1 के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 व प्र0पी0 6 लेख की गई थी, प्र0पी04 के बी से बी भाग पर व प्र0पी0 6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादिया महलखां फिरदौस, मोह0 असलम अंसारी, अरफाना उर्फ बेबी, चुन्नी बाई अंसारी व सलमा बेगम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए गए थे। फरियादिया की निशादेही पर उसके द्वारा मौका नक्शा प्र0पी0 3 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादिया के पेश करने पर निकाहनामा दि0 21.9.13 की छायाप्रति, शादी का कार्ड की छायाप्रति, दहेज के समान की लिस्ट की छायाप्रति, शादी के फोटोग्राफ्स जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शादी के फोटो आर्टि0 ए1 लगायत ए6 है। आरोपीगण

को गिरफतार कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 7 लगायत प्र0पी0 9 तैयार किया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। चालानी कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

18. **विवेचक करण सिंह (अ0सा0–4)** ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नही है कि आरोपी तारा बाई की मृत्यु हो चुकी है और सबीना नरंसिहपुर मे रहती है इस बात से इंकार किया है सबीना का इस प्रकरण से कोई लेनादेना नहीं है। इस बात से इंकार किया है कि फरियादिया ने जो भी आरोप लगाये हैं, वह सामान्य प्रकृति के है। साक्षी ने बताया है कि उसने सभी साक्षियों के बयान थाने मे लिये थे। इस बात को स्वीकार किया है कि बयान लेने के पूर्व उसने कोई नोटिस साक्षी को जारी किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। इस बात को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक मे जप्त समस्त दस्तावेज छायाप्रति हैं यह भी स्वीकार किया है कि असल उसने जप्त नही किये। इस बात को स्वीकार किया है कि अपनी विवेचना को सही करने के लिये उसने दो एफआईआर लिखी। इस बात को स्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 के आवेदन मे जो आरोप लगाये गये हैं, सोना चांदी, जेवरात, इनको उसने जप्त नही किया। इस बात को स्वीकार किया है कि प्र0पी0 6 व प्र0पी0 4 की एफआईआर जो उसने लेख की है वह आवेदन के हिसाब से ही लेख की है। इस बात को स्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 के आवेदन मे सबीना का नाम बढाया गया है इसलिये उसने एफआईआर में भी सबीना का नाम बढा दिया। इस बात को स्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 के आवेदन में किस तारीख को, किस माह में, किस साल प्रताडित किया गया, इसका उल्लेख नहीं है। इस बात को स्वीकार किया है कि फरियादिया व उसके परिवार द्वारा एफआईआर करने के पूर्व कोई भी शिकायत प्रताडना को लेकर नही की थी।

19. **भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के स्पष्टीकरण** के अनुसार इस धारा के प्रयोजन के लिये **''क्रूरता''** से निम्नलिखित अभिप्रेरित हैं :–

ए. जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या

खतरा कारित करने की संभावना है या

बी. किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये पीडित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

20. **धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता** के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त धारा के अंतर्गत **''क्रूरता''** को प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियोजन स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करे कि या तो फरियादिया के पति या नातेदार द्वारा दहेज या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग को लेकर फरियादिया को प्रताडित किया गया है या यह प्रमाणित करे कि पति या पति के नातेदार द्वारा फरियादिया के साथ जानबूझकर ऐसा आचरण किया गया जो ऐसी प्रकृति का है जिससे फरियादिया को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की संभावना है या फरियादिया के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है।

21. **धारा 498–ए** मे **''क्रूरता''** का जो अर्थ बताया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में फरियादिया कि साक्ष्य का अवलोकन किया गया। फरियादिया महलखा (अ0सा0–1) के अनुसार उसका विवाह दिनांक 21.09.2013 को हुआ है तथा फरियादिया द्वारा प्रथम बार घटना की रिपोर्ट विवाह से लगभग 06 माह बाद दिनांक 10.03.2014 को की जाना दर्शित है। इसके पूर्व आरोपीगण द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध मे फरियादिया द्वारा कोई रिपोर्ट की जाना दर्शित नहीं है जबकि फरियादिया के अनुसार ''शादी के बाद उसके पति उससे एक लाख रू0 और उसकी नंद एक मोटरगाडी की मांग करते थे। उसकी सास कहती थी कि यदि एक लाख रू0 और मोटरगाडी नहीं लाओगी तो चेहरा बिगाड देगें। दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे, उसके पति उसके साथ मारपीट कर पैसा लाने के लिए बोलते थे। तथा मिटटी तेल डालने की धमकी देते थे।'' इतनी प्रताड़ना के बाद भी फरियादिया द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध 06 माह तक कोई शिकायत किसी थाने में की जाना दर्शित नहीं है। फरियादिया द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम बार शिकायत थाना केण्ट में शादी के 06 माह बाद गयी है तथा विलंब से रिपोर्ट की जाने के संबंध में फरियादिया द्वारा कोई पर्याप्त कारण

नहीं बताया गया है। फरियादिया महलखा (अ0सा0–1) ने अपनी लिखित शिकायत प्र0पी0 1 मे बताया है की शादी के पहले दिन से ही दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के पति, सास व ननद ने आवेदिका के साथ मारपीट व गाली–गलौज करना प्रारंभ कर दिया था। उसके पति जाहिद द्वारा उसके बाद खीचंकर मारपीट की जाने लगी थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि शादी के बाद ससुराल में कई तरह के रीति रिवाज तथा रस्में होती हैं तथा मेहमान घर मे होते है। आरोपीगण द्वारा शादी के पहले दिन से ही दहेज की मांग को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट की जाकर उसे प्रताड़ित किया जाना व्यवहारिक प्रतीत नही हेाता है, क्योंकि उस समय घर में मेहमान उपस्थित होते हैं और शादी की ही रस्में चलती रहती है। अतः शादी के पहले दिन से ही आरोपीगण द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में फरियादिया के कथन समाधानप्रद प्रतीत नहीं होते हैं।

22. फरियादिया महलखा (अ0सा0–1) की साक्ष्य अनुसार आरोपीगण दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। लिखित शिकायत प्र0पी0 1 मे फरियादिया ने बताया है कि'' निकाह के पहले दिन से ही आवेदिका के पति, सास और ननद ने आवेदिका को दहेज की मांग के लिये परेशान करना शुरू कर दिया था। आवेदिका द्वारा मना करने पर आवेदिका के साथ मारपीट, गाली गलौज की जाती थी। आरोपी जाहिद द्वारा उसके बाल खींचकर उसके साथ मारपीट की जाने लगी और उसे धमकी दी जाने लगी कि यदि वह एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल लाकर नही देगी तो उसका चेहरा तेजाब डालकर बिगाड देंगे। .''आरोपीगण द्वारा फरियादिया के साथ बार–बार मारपीट की जाने के बाद भी फरियादिया को कोई चोट न आई हो और उसे मुलाहिजा कराने की आवश्यकता न पड़ी हो यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता हैं और यदि फरियादिया के साथ मारपीट हो रही थी तो उसे चोटें आना स्वाभाविक है। फरियादिया के अनुसार वह छ माह तक ससुराल मे रही, किंतु उक्त अवधि के दौरान फरियादिया द्वारा किसी चिकित्सक को दिखाया जाना या मुलाहिजा कराया जाना दर्शित नहीं है। अभियोजन द्वारा फरियादिया की एक भी मुलाहिजा रिपोर्ट प्रकरण में पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में बिना किसी चिकित्सीय प्रमाण के आरोपीगण द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट किये जाने संबंधी कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

23. अभियोजन द्वारा फरियादिया महलखा फिरदौस (अ0सा0–1) के अतिरिक्त फरियादिया की मां अरफाना उर्फ बेबी(अ0सा0–2) एवं फरियादिया के पिता मो0 असलम अंसारी(अ0सा0–4), को ही परीक्षित कराया गया है जो कि हितबद्ध साक्षी की श्रेणी में आते हैं। अतः हितबद्ध साक्षी होने से फरियादिया की मां अरफाना उर्फ बेबी(अ0सा0–2) एवं फरियादिया के पिता मो0 असलम अंसारी(अ0सा0–4) की साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया जाना आवश्यक है। फरियादिया ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा क्र. 2 में बताया है कि उसके पति उसे मिटटी का तेल डालने की धमकी देते थे। जबकि फरियादिया के पिता मोह. असलम ने मुख्य परीक्षण के पैरा क्र. 2 मे बताया है कि आरोपी ने उसकी बेटी के कपडो के उपर मिटटी का तेल डाल दिया था। इसी तरह से फरियादिया ने अपनी लिखित शिकायत मे बताया है कि शादी के पहले दिन से ही आरोपीगण उसे प्रताडित करने लगे थे, जबकि फरियादिया के पिता मोह असलम ने अनी न्यायालयीन साक्ष्य मे बताया है कि शादी के पंद्रह बीस दिन बाद से फरियादिया का पति, ननद व सास उसे प्रताडित करने लगे थे। इसी तरह से फरियादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके पिता बहुत गरीब है और छुई मिटटी ढोते है और दिन का 50–60 रूपये कमा लेते है, जब उसकी शादी हुई थी तब उसके पिता 50–60 रूपये कमाते थे। जबकि फरियादिया की मां अरफाना उर्फ बेबी अ0सा0 2 ने प्रतिपरीक्षण मे इस बात से इंकार किया है कि उसका पति मोह. असलम दिन का 50–60 रूपये कमाता था और उस समय वह छुई मिटटी बेचने का काम करता था। साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य से दर्शित है कि फरियादिया की मां अरफाना एवं फरियादिया के पिता मोह. असलम ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में फरियादिया से विरोधाभासी कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपीगण द्वारा फरियादिया को मारपीट कर प्रताड़ित किये जाने के संबंध में जो कथन किये गये हैं वह फरियादिया के बताये अनुसार किये गये हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा स्वयं आरोपीगण को फरियादिया के साथ मारपीट करते हुये या प्रताड़ित करते हुये नहीं देखा गया है। जिससे दर्शित है कि उक्त साक्षी की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आती है।

24. साक्षी फिरदौस (अ.सा.05) एंव सूरज (अ.सा.07) प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी है तथा साक्षी फिरदौस (अ.सा.05) एंव सूरज (अ.सा.07) द्वारा अपनी

साक्ष्य मे अभियोजन का सर्मथन नही किया गया है। साक्षी फिरदौस(अ.सा.05) ने अपने प्रति परीक्षण में बताया है कि जाहिद अपनी पत्नी महलखां के साथ उसके मकान मे किराये से रहता था। उसका और फरियादिया का किराये का मकान लगे हुये हैं। इस बात को स्वीकार किया है कि उसके सामने महलखां ने कभी प्रताडना के संबंध मे कोई शिकायत नही की। उसके सामने कभीकोई विवाद नही हुआ। इस बात को भी स्वीकार किया है कि फरियादिया के निकाह के समय दहेज की कोई मांग नही हुई थी। इसी तरह से आरोपीगण के मोहल्ले में रहने वाले स्वतंत्र साक्षी सूरज (अ.सा.07) द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि फरियादिया व आरोपी के बीच क्या विवाद था इसकी उसे कोई जानकारी नही है। साक्षीगण कि उपरोक्त साक्ष्य से दर्शित है कि प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी फिरदौस अ0सा0 5 और सूरज (अ.सा.07) ने फरियादिया महलखा (अ0सा0–1) के कथनो का सर्मथन नही किया गया है।

25. फरियादिया महलखा(अ0सा0–1), फरियादिया की मां अरफाना उर्फ बेबी(अ0सा0–2)एंव फरियादिया के पिता मो0 असलम अंसारी(अ0सा0–4),की साक्ष्य से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं कि आरोपीगण ने शादी के पूर्व दहेज की कोई मांग की थी, जिसे पूरा नहीं किये जाने पर शादी के बाद फरियादिया को प्रताड़ित किया गया। लिखित सूचना प्र0पी0 1 एवं पुलिस को दिये गये बयान में भी उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण द्वारा शादी के पूर्व दहेज की मांग की जाने के संबंध मे कोई कथन नहीं किये हैं। आरोपीगण द्वारा शादी के पूर्व दहेज की कोई मांग न की जाना तथा शादी के बाद से ही नियमित रूप से दहेज मे एक लाख रूपये एंव गाड़ी की यांत्रिक रूप से बिना किसी परिर्वतन के मांग की जाना समाधानप्रद प्रतीत नहीं होता है।

26. फरियादिया महलखा(अ0सा0–1), फरियादिया की मां अरफाना उर्फ बेबी(अ0सा0–2)एंव फरियादिया के पिता मो0 असलम अंसारी(अ0सा0–4), की न्यायालयीन साक्ष्य के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने विवाह के पश्चात् आरोपीगण द्वारा दहेज में एक लाख रूपये एंव गाड़ी की मांग किये जाने संबंधी कथन किये हैं, किंतु इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन नही किये है कि किस आरोपी द्वारा किस दिनाक व समय पर फरियादिया से पैसों की मांग की गई। उनके अनुसार सभी आरोपीगण शादी के बाद से ही

फरियादिया से दहेज की मांग करते थे। उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में पैसों की मांग के संबंध में घटना दिनांक, समय एवं घटनाक्रम का स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत दुर्गा प्रसाद वि. म0प्र0 राज्य 2010 .3415, न्याय दृष्टांत अरूण बाबाराव वि महाराष्ट्र राज्य 2012 कि.लॉ.ज. 4439 एवं न्याय दृष्टांत मृणाल कांतिराव वि. त्रिपुरा राज्य 2010 कि.लॉ.ज. 1679** अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ''दहेज की मांग किस अवसर पर की गई थी इस संबधं में घटनाओं का ब्यौरा न दिया जाना और दहेज की मांग के संबंध में सामान्य तथा अस्पष्ट कथन किये जाना धारा 498ए के अपराध के गठन के लिये अपर्याप्त है।''

27. **न्याय दृष्टांत Kans Raj Vs State of Punjab (2000)5 SCC 207 में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि ''दहेज की मांग के अपराध के संबंध मे यह सामान्य प्रवृत्ति है कि पति के साथ–साथ ससुराल पक्ष के सभी संबंधियों को अपराध में फसाया जाये इन परिस्थितियों मे प्रत्येक आरोपी का विनिर्दिष्ट कृत्य दर्शाया जाना आवश्यक है।'' इसी तरह **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Neelu Chopra and another VS Bharti (2009)10 SCC 184 में यह प्रतिपादित किया गया है कि :-** '' In order to lodged a proper complaint ,mere mention of the section and the language of those section is not be all and end of the matter what is required to be brought to the notice of the court is the particular of the offence committed by each and every accused in the committing of that offence.'' वर्तमान प्रकरण में फरियादिया ने बताया है कि शादी के बाद से ही सभी आरोपीगण उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। लेकिन फरियादिया ने इस संबंध में विशिष्ट रूप से कोई कथन नहीं किये हैं कि किस आरोपी ने, किस दिनांक को, किस प्रकार से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया। फरियादिया द्वारा सभी आरोपीगण पर सामान्य आरोप (**general and onmibus allegation**) लगाये गये हैं।

28. **general and onmibus allegation के संबंध में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम निर्णय **Kahkashan Kausar @**

sonam vs state of bihar on 8 february 2022 में दिशानिर्देश दिये हैं। उक्त न्याय दृष्टांत के पैरा क. 18 और 19 के अनुसार – "Pera 18- this court has at numerous instances expressed concern over the misuse of sec 498a IPC and the increased tendency of implicating relatives of the husband in matrimonial disputes, without analysing the long term ramification of a trial on the complainant as well as the accused .It is further manifest from the said judgement that false implication by way of general omnibus allegation made in the course of matimonial dispute ,if left unchecked would result in misuse of the process of law .Therefore this court by way of its judgement has warned the courts from proceeding against the relatives and in laws of the husband when no prima facie case is made out agianst them.

29. Pera 19- Coming to the facts of this case ,upon a persual of the contents of the FIR dated 1-4-19, it is revealed that general allegation are levelled against the appellants .The complainant alleged that 'all accused harassed her mentally and threatened her of terminating her pregnancy'. Futhermore ,**no specific and distinct allegation have been made against either of the Appellant herein,** i.e.,none of the Appellant have been attributed **any specific role in furtherance of the general allagation made against them .**This simply leads to a situation wherein one fails to ascertain the role played by each accused in furtherance of the offence. The **allegation are therefore general and omnibus and** can at best be said to have been made out on account of small skirmishes.वर्तमान प्रकरण में फरियादिया को प्रताड़ित किये जाने के संबध में किस अभियुक्त की क्या विनिर्दिष्ट भूमिका थी, इस संबध में फरियादिया द्वारा कोई विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं। धारा 498ए के अपराध के संबंध में किस अभियुक्त की क्या विनिर्दिष्ट भूमिका थी इसका स्पष्ट ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है जिसका अभाव प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रकट होता है।

30. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आलोक में यह दर्शित है कि फरियादिया द्वारा अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में जो कथन किये गये हैं उनकी पुष्टि स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा की जाना दर्शित नही है। फरियादिया ने उसके साथ

आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने संबधि कथन किये हैं किंतु फरियादिया की कोई मुलाहिजा रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत नही की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादिया महलखा (अ0सा0–1), फरियादिया की मां अरफाना उर्फ बेबी (अ0सा0–2)एंव फरियादिया के पिता मो0 असलम अंसारी (अ0सा0–4),ने अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में ऐसे कोई कथन नहीं किये है जिनसे दर्शित हो कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया के साथ जानबूझकर ऐसा आचरण किया गया जो ऐसी प्रकृति का है जिससे फरियादया को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की संभावना है या फरियादिया के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित है कि **धारा 498 ए** में क्रूरता का जो अर्थ बताया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर फरियादिया रेहाना (अ0सा0–1) के साथ मारपीट कर क्रूरता की जाना दर्शित नहीं है।

31. अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य की विवेचना उपरान्त अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दि0 21.09.2013 के पश्चात से दि0 06.03.14 तक गली नं0 12 सदर बाजार जबलपुर अंतर्गत थाना कैंट जिला जबलपुर स्थित फरियादिया के ससुराल में फरियादिया श्रीमती महलका फिरदौस के पति अथवा पति के नातेदार होते हुए, दहेज की मांग की पूर्ति के लिए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की तथा यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया से विवाह पश्चात् मूल्यावन प्रतिभूति की दहेज के रूप में अवैध मांग की।

32. आपराधिक मामलों में अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को प्रमाणित करना होता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन अपने प्रकरण को प्रमाणित कराने में असफल रहा है। यह सुस्थापित विधि है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह कभी भी सारवान साक्ष्य का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है तथा संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में न्यायदृष्टांत मोहम्मद हनीब विरूद्ध म0प्र0 राज्य 1992 जे0एल0जे0 292 म0प्र0 अवलोकनीय है।

33. अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त **1. शबीना पति शेख महमूद उम्र–45 साल नि0 रामवार्ड कंदे की नरसिंहपुर म0प्र0 2. मोह0 जाहिद उर्फ भैया मिथुन पिता बाबू खान उम्र–37 साल नि0 गली न0 12 थाना कैंट जबलपुर** को **धारा 498ए/34 भादंवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

34. अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः पूर्व पेश जमानत व मुचलके भारमुक्त घोषित किए जाते है।

35. प्रकरण में कोई संपत्ति जप्त नहीं है।

36. अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण, जॉच व विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा–428 दण्ड प्रकिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, व मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(संजना मालवीया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जबलपुर

(संजना मालवीया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जबलपुर

SANJANA MALVIYA
Digitally signed by SANJANA MALVIYA
Date: 2023.08.24 06:40:18 +0530